Transfer of C.P.W.D Sectional Officers

58. SHRI RAMSHEKHAR PRASAD SINGH : Will the NIRMAN AUR AWAS MANTRI be pleased to state :

(a) whether the C. P. W. D. Sectional Officers are transferred after every three years;

(b) if so, whether it is strictly followed;

(c) whether there had been exceptions at South Avenue Enquiry Office, New Delhi; and

(d) if so, the reasons therefor ?

NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) to (d). The normal period of continuous stay of Sectional Officers at a particular station is four years. They can, however, be allowed to remain at any station beyond the normal period of stay upto a maximum of 8 years provided they do not work in any particular Division or a group such as Maintenance or Construction or Planning for more than four years. This can be reduced or extended further in the exigencies of service. There is one Sectional Officer in the South Avenue Enquiry Office who has been in Delhi for over eight years and has also completed more than four years in the Maintenance Group. He is, therefore, due for transfer outside Delhi. In fact, orders transferring him had been issued but as the new Parliament had been summoned to meet on the 22nd March, 1971 and as some of the M.Ps who had not been re-elected had to vacate their flats and new M.Ps had to occupy them, it was not considered appropriate to effect a change during this transitional period and and he has, therefore, been retained till the 30th June, 1971 when he will be relieved of his present assignment for taking up a new job outside Delhi.

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सेक्शनल अधिकारियों का स्थानान्तरण

59. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में एक ही स्थान पर तीन वर्ष तक कार्य करने के बाद कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो संसद् सदस्यों के फ्लैटों से सम्बद्ध पूछताछ कार्यालयों में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें एक ही स्थान पर तीन वर्ष तक कार्य कर लेने के बाद भी बदला नहीं गया है और इसके क्या कारण हैं, तथा ऐसे कर्मचारियों तथा अधिकारियों के नाम क्या है;

(ग) क्या इन पूछताछ कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध किसी संसद् सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेक्शनल आफीसर की किसी एक स्थान पर लगातार कार्य करने की सामान्य अवधि चार वर्ष है। तथापि, किसी एक स्थान पर, उन्हें इस सामान्य अवधि से ज्यादा देर रहने की अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ठहरने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते यह सुनिश्चित हो जाये कि वे अनुरक्षण या निर्माण अथवा आयोजना जैसे किसी मण्डल या ग्रुप विशेष में चार से अधिक वर्ष कार्य नहीं करते हैं। इसे सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए घटाया अथवा आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) तथा (घ). एक कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं यह निर्णय किया गया है कि उसे पूछताछ कार्यालय से बदल दिया जाये तथा दिल्ली के